HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Transfer Petition No. 41/2025

Kishan Agrawal S/o Shri Premchand Ji, Aged About 64 Years, R/o 20 Raghuvihar, Maharani Farm, Jaipur (Raj).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Shri Bhupendra Kumar Sankhala S/o Kalulal Shankhla, R/o Mangalwad Choraha, Chittorgarh (Raj.).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Ms. Preeti Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP None Present for R-2 despite service

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

15/04/2026

01. प्रार्थी की ओर से यह स्थानान्तरण याचिका अन्तर्गत धारा 407 दंड प्रक्रिया संहिता/447 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत कर विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौड़गढ़ (राज.) में लंबित मूल फौजदारी प्रकरण संख्या 02/2025, राज्य बनाम किशन अग्रवाल को जयपुर महानगर के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

02. बहस स्थानांतरण याचिका सुनी गई।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में प्रार्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रकरण जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) में लंबित है और प्रार्थी जयपुर में निवास कर रहा है। प्रार्थी की उम्र 64 वर्ष की है, जो वर्तमान में काफी अस्वस्थ है और यात्रा करने में काफी असुविधा होने की संभावना है, इस संबंध में Eternal Hospital के डॉक्टर डी.एस. मलिक का प्रमाण पत्र दिनांकित 08.04.2026 प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी सितम्बर, 2025 से लगातार Backache (Recurrent) से परेशान है और Higher side diabetic and BP का मरीज है। प्रार्थी लंबी यात्रा करने में फिट नहीं है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर चित्तौड़गढ़ न्यायालय में लंबित प्रकरण को जयपुर न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

04. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इसका सख्त विरोध करते हुए स्थानांतरण याचिका को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में ईलाज के कागजात् का अवलोकन किया तथा Eternal Hospital के डॉक्टर डी.एस. मलिक एम.एस. (जनरल सर्जरी) द्वारा जो प्रमाण पत्र दिनांकित 08.04.2026 दिया गया है, उस पर विचार किया गया। इस प्रमाण पत्र के मुताबिक प्रार्थी 64 वर्ष की आयु का है और लंबी यात्रा करने में फिट नहीं होना प्रमाण पत्र में बताया गया है।

06. ऐसी अवस्था में इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 407 दंड प्रक्रिया संहिता/447 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौड़गढ़ (राज.) के समक्ष लंबित मूल फौजदारी प्रकरण संख्या 02/2025, राज्य बनाम किशन अग्रवाल को विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 01, जयपुर महानगर द्वितीय में स्थानान्तरित किया जाता है। विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौड़गढ़ (राज.) को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 2 भुपेन्द्र कुमार अथवा उसके अधिवक्ता को सूचित करते हुए उक्त प्रकरण के समस्त दस्तावेज विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 01, जयपुर महानगर द्वितीय को तुरन्त प्रभाव से प्रेषित करे। उभय पक्षकारान को दिनांक 04.05.2026 को विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 01, जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए जाते हैं। स्थगन याचिका भी निस्तारित की जाती है।

07. आदेश की एक प्रति विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौड़गढ़ (राज.) एवं विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 01, जयपुर महानगर द्वितीय को भिजवायी जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

56-GauravG/-